प्रेषक,

प्रदीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

18/3/26

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 17 मार्च, 2026

विषयः अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–2026 में नगर पालिका परिषद, नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्रांक–4718, दिनांक 23.12.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में ''अवस्थापना विकास निधि योजना'' के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, नैनीताल द्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्यों हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव/आगणनों के सापेक्ष रू0 48.39 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये 70 प्रतिशत धनराशि **कुल रू0 33.87 लाख (रू0 तेतीस लाख सतासी हजार मात्र)** को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	लागत	अवमुक्त धनराशि (70%)
1.	Renovation and Maintance work of Nursery School, Mall road, Nainital	3.44	2.41
2.	Renovation and Maintance work of Ashdale School Nainital	44.95	31.46
	योग–	**48.39**	**33.87**

2– उपरोक्त धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

(1) उक्त धनराशि **कुल रू0 33.87 लाख (रू0 तेतीस लाख सतासी हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर नगरपालिका परिषद, नैनीताल को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम/यथा प्रक्रिया अविलम्ब उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय। तत्सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी का होगा।

(3) **'मुख्यमंत्री शहरी अवस्थापना विकास योजना दिशा–निर्देश' 2025 के अनुसार 30% निकाय अंश का वहन नगरपालिका परिषद, नैनीताल द्वारा किया जायेगा।**

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य की निविदा उपरांत सफल निविदादाता से किए गये अनुबन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

(5) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, PO Urban Development Section 2 ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 18/03/2026 09:55 am

(6) कार्या की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्या का Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी तथा अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(7) स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

(8) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(9) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्ठियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

(10) आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, प्रचलित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी। जनसुविधार्थ स्वीकृत योजना की कार्यलागत एवं योजना की समयावधि का विवरण सार्वजनिक किया जायेगा।

(12) उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/अभियंता द्वारा संरक्षित रखे जायेंगे तथा कार्य समाप्ति के एक माह के भीतर उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में (कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ) अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु डी0एस0आर0/एस0ओ0आर0 एवं नॉन शिडयूल मदों हेतु यदि बाजार की दरें ली गई हैं, तो विशिष्टयों तथा दरों में परिर्वतन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदो का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें हैं।

(14) योजना में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री के सम्बन्ध में हरसम्भव यह प्रयास किया जाय कि निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप प्रदेश के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय ताकि प्रदेश के अन्तर्गत रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले एवं राज्य को करों के रूप में राजस्व की भी प्राप्ति हो सकें। इस हेतु ठेकेदारों के साथ किये जाने वाले अनुबन्ध में उक्त का समावेश किया जाय।

(15) प्रस्तुत प्रस्तावों के सम्बन्ध में यदि निदेशालय स्तर पर गठित स्क्रीनिंग कमेटी का कोई Observation है अथवा जनपद स्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा कोई Observation उल्लेखित किया गया है, तो कार्य प्रारम्भ से पूर्व उक्त के निराकरण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित नगर निकाय का होगा।

(16) नॉन शैड्यूल मदों की दरों/स्वीकृति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित नगर निकाय का होगा।

(17) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(18) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(19) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

(20) प्रश्नगत कार्यों हेतु "मुख्यमंत्री शहरी अवस्थापना विकास योजना" दिषा–निर्देष–2025 में प्रदत्त निर्देषों/शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। चूंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अत्यन्त अल्प समय अवशेष रह गया है। अतः प्रश्नगत कार्यों हेतु स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का उपयोग, निविदा आदि प्रक्रियाएं चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर ली जायें।

Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO Urban Development Section 2 ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 19/03/2026 09:55 am

(21) प्रश्नगत कार्यो हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में कर लेंगे अर्थात किसी भी दशा में किसी भी स्तर पर Parking oF Fund नहीं किया जायेगा तथा आगणन में उल्लिखित मदों के अनुसार कार्य कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित नगर निकाय का होगा।

(22) कार्यों की स्वीकृत लागत के सापेक्ष निविदा उपरान्त सफल निविदादाता से किये गये अनुबन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत लागत के सापेक्ष व्यय के फलस्वरूप यदि धनराशि अवशेष बचती है तो अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा। साथ ही बजट मैनुअल के प्रस्तर–182(छः)(2)(जिसमें आवंटित बजट का 80 प्रतिशत चालू योजनाओं/कार्यों हेतु तथा 20 प्रतिशत नयी योजनाओं/कार्यों हेतु) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजना हेतु प्रस्तावित कार्य की आवश्यकता होने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित नगर निकाय/शहरी विकास निदेशालय का होगा।

(23) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनिवार्य रूप से दिनांक 31.03.2026 तक कर लिया जायेगा। **कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण, एल–1 विवरण, निकाय अंश व्यय होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।** तत्सम्बन्ध में प्राथमिक उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी का होगा और तदोपरान्त शहरी विकास निदेशालय के सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

2– उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक के अनुदान सं.–13 के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 379732, दिनांक 17 मार्च, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से संलग्न एलॉटमेंट आई0डी0 के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त। S26030130020,

भवदीय,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 17-03-2026
19:23:45

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1ण महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2ण निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3ण आयुक्त, कुमॉयू मण्डल, उत्तराखण्ड।
4ण वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5ण वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6ण वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7ण अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नैनीताल।
8ण गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव।

Print Date:-17/Mar/2026 07:08 PM

Signature Not Verified

Digitally signed by: Mr Bhuwan Chandra Joshi
Reason :SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 17-03-2026 19:08:54

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025-2026)

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S26030130020

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 17-MAR-2026

लेखा शीर्षक -

4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	**03**	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
051	निर्माण	**04**	नगरों का समेकित विकास
01	मलिन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास		

4	2	1	7	0	3	0	5	1	0	4	0	1

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	53-वृहद निर्माण	129395100	3387000	0	132782100
	योग	129395100	3387000	0	132782100

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 33,87,000 (Rupees Thirty Three Lacs Eighty Seven Thousand Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2603:0009

Approval Status : e-Sign letter